



76

CFAB 19-2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०१०

12001 पुनरीकाण

R. 730 - ए 2001
मा० ०८० को० वात्पर्यान्वयी
ज्ञान वाचा० दि० २३।५।२००१ को प्रतु०
राजस्व बाबू वाक्यालय
राजस्व बाबू वाक्यालय
223 APR 2001

- 1- गंधविसिंह }
2- रत्नसिंह }
3- गोहरसिंह } पुनरीकाण बाबूसिंह
4- रामेश }
5- लालचन्द्र पुरी बाबूसिंह
6- गुहालचन्द्र पुरी बाबूसिंह
7- महिला सोनेवतीबाई विधवा बाबूसिंह
8- शुभीताचार्चे अवकरण पुरी बाबूसिंह
रामेश मार्दानिवीबाई
संगी गूरुर ठाकुर निवासीणा ग्राम रिठोरा
9- पुरा चहलील अम्बाह घिला पुरेना *

आवेदकाणा

विल्लु

- 1- कदिलाल पुत्र रामचन्द्र
2- पुरा गोहरी विधवा रामचन्द्र
3- पुरा खेता पुरी रामचन्द्र
4- लभा पुरी रामचन्द्र
5- सीता पुत्र शुन्दन
6- वासुदेव पुत्र युरी
7- महिला चौमखती पुरी मुरली
8- महिला श्वीरी } पुरी लोमखती
9- महिला फटोरी }
10- महिला फूलखती विधवा युरी

11- सीता पुत्र मोदुला

EX.P. 12- रामदेव पुत्र रामव्याल

EX.P. 13- देवीराम पुत्र जगन्नाथ

Ex.P:-	14- लालराम } 15- छविराम } 16- भेवराम } 17- रत्नराम }	पुकाणा रमचन्द्रा पुकाणा भगवन्ता
Ex.P:-	18- कर्णा } 19- लक्ष्मा } 20- दुर्जनशिंह }	पुकाणा गंदा सभी कुशवाह, निवासीणा रिठोरा जा पुरा तखील अम्बाह जिला मुरेना -- अनावेदनगण

अपर आयुक्त भाऊल रामाग घारा प्र० १० २२४। २६-२७ अप्र०
में पारित आदेश दिनांक १४-२-२००१ के दिस्त्र पुनरीकाणा
अन्तर्गत घारा ५० स० प्र० मू राजस्व संहिता १९५९

महोदय,

आवेदनगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीकाणा आवेदन प्रस्तुत
करते हैं :-

- (1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध तथा प्रकरण के अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
- (2) यह कि अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के सज्जारण तथा वैध आदेश को भनमाने आधारों पर निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।
- (3) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदनगण के पूर्वाधिकारी का वास्तविक आधिकार्त्य था तथा वरीयान में आवेदनगण का आधिकार्त्य है निरन्तर चला आ रहा है यह तथ्य प्रकरण के अभिलेख से सिढ़ है तथा अविवादित है। यह भी स्पष्ट है कि आवेदनगण का आधिकार्त्य हटाने के लिये आज तक कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसे आधिकार्त्य के आधार पर आवेदनगण की संहिता की घारा १६९ के अन्तर्गत मूर्मिल्यामी स्वत्व उद्भूत हो जाते हैं।
- (4) यह कि अपर आयुक्त ने जिन न्यायदुष्टांतों को आधार काकर विवादित आदेश पारित किया है वे इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 7.30.-IV (D).....जिला ग्वालियर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
४.५-१६	<p>ग्वालियर के निम्नलिखित सभा कार्यालयों पर उपर्युक्त घटावार कार्यालय नं. २, ३, ५, १८ एवं १९ के वारिसमान ग्वालियर के उपर्युक्त निम्नों के द्वारा ग्रामीण कार्यालयों का प्राप्ति ग्रामीण कार्यालयों का विभाग १९-५-१६ के अनुसार इनका ग्रामीण कार्यालय कार्यालय नं. ८ एवं ८८ समान ग्रामीण कार्यालय ग्वालियर कार्यालय के उपर्युक्त वारिसमान ग्रामीण कार्यालय द्वारा दिलाई गई।</p> <p style="text-align: right;">21/5/25</p>	

